



# प्रत्युष नवबिहार

रांची संस्करण

www.tezraftarlive.com  
Email-navbiharjh@gmail.com

रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित

रांची • रविवार • 30.06.2024 • वर्ष : 14 • अंक : 337 • पृष्ठ : 12 • आमंत्रण मूल्य : ₹ 2 रुपया



आप कहीं से भी किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, वहां से संबंधित थाने में इसे भेज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन या ई-मेल से भी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं।

प्राथमिकी के बाद अनुसंधान में क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी जांच अधिकारी को पीड़ित या सूचक को देनी होगी। पहले थाने में जाकर जानकारी लेनी पड़ती थी।

संगठित अपराध, झापटमारी और गॉब लिंचिंग को भी नए अपराध में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सीधे जेल की जगह आरोपी से सामाजिक/सामुदायिक सेवा करने का भी दण्ड दिया जा सकता है।

पहले जहां अपराध के बाद केवल दण्ड आधारित न्याय व्यवस्था थी, वहाँ अब दण्ड की जगह न्याय व्यवस्था पर जोर है यानी दण्ड ही केवल ना हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि पीड़ित को न्याय भी मिले।

18 साल से कम आयु की महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म के अपराधियों को मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है। जबकि 18 साल से अधिक आयु की महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म के अपराधियों को 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।

नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार, महिला से विवाह करने के झूठे वचन देकर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी के लिए अब 10 वर्ष तक की सजा है। दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट अब चिकित्सक को 7 दिन के भीतर देने होंगे।

नए कानूनी प्रावधानों में बालक (child) को परिभाषित किया गया है जो IPC में नहीं था। महिला एवं बालकों के विलुद्ध अपराध को लिंग तटस्थ (Gender Neutral) बना दिया गया है, इसमें उभयलिंगी (Transgender) को भी सम्मालित किया गया है।

1 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले नए कानूनी प्रावधानों को जानें  
सजग नागरिक बनें

# न्याय



## की नई परिभाषा

आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू होंगे... ये कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री चम्पाई सोरेन  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, इसमें ऑडियो-वीडियो संसाधनों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

समन, तामिला का सबूत, दस्तावेजी समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यम का प्रयोग एवं साक्ष्य केवल लिखित नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे: ऑडियो-वीडियो एिकार्डिंग कर दस्तावेज का सकेगा।

तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया में ऑडियो-वीडियो संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या एिकार्ड को विधिक दस्तावेज के रूप में मान्यता होगी।

फोटोसिक जांचकर्ता को अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन करने की बाध्यता होगी। चिकित्सक अभियुक्त का जैविक परीक्षण कर चिकित्सीय साक्ष्य एकत्रित करेंगे।

नए कानूनी प्रावधानों के तहत अब कम समय में अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न करने की व्यवस्था है।









## एक नजर

मैनहर्ट घोटाला  
मानले नें केस दर्ज  
करायेंगे सरयु राय

रांची : मैनहर्ट घोटाला मामले में प्रधानकारी सरयु राय डोरंडा या धूर्वा थाना में केस दर्ज करायेंगे। ये जानकारी देते हुए राय ने बताया कि हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद वे केस दर्ज कराने जा रहे हैं। कहा कि हाईकोर्ट में उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। 26 जून को इस संबंध में उनको आदेश दिया गया। कहा इस आदेश के अलाक में घोटालाबाजों के खिलाफ शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। सरयु राय ने कहा कि उनकी याचिका को खारिज करते हुए तीन विकल्प दिये गये हैं। राय ने कहा कि अपने वकीलों से प्राप्तमार्श के बात उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है। वे शीघ्र ही रांची के डोरंडा या डोरंडा अथवा धूर्वा थाना में उच्च न्यायालय के निदेशनुसार प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। गौरतलब है कि सरयु राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज इंजेन के डीपीआर का कार्य दिए जाने से 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रधानमामले को वे विधानसभा में भी उठा चुके हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर दिसंबर 2020 में ऐसीसी में पीई दर्ज की गई थी। लेकिन, उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

## हूल दिवस पर सिद्ध-कानून को श्रद्धांजलि देगी आजसू

रांची : हूल दिवस पर रविवार को आजसू पार्टी सिद्ध-कानून पार्क, रांची रिश्त शहीद सिद्ध-कानून की प्रतिमा पर प्राप्त: दस बजे जल्दी यात्रापार्ट के ब्रांजलि अपर्णत करी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आजसू पार्टी के द्वारा यात्रा समिति, रांची जिला समिति, रांची महानगर समिति, रांची महानगर महिला समिति, युवा आजसू, आजसू छात्र संघ, आजसू बुद्धिजीवी मंच तथा अधिकारी संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे।

## विशेष लोक अदालत में 1.41 लाख से अधिक मानले का हुआ निबटारा

रांची : सिविल कार्ट के साथ जिले के अचल कार्यालयों, सीसीएल में भूमि और राजस्व संबंधित मामले को लेकर आयोजित विशेष लोक अदालत में शनिवार को एक लाख 41 हजार 559 वार्दों का निपटारा किया गया। इसमें दखिल खारिज के 23,499 मामले भी शामिल हैं। साथ ही सोके पर 45 करोड़ 91 लाख 70 हजार 121 रुपए का सेटलमेंट हुआ। मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेंचों का गठन किया गया था। इसमें दो बैंच न्यायिक पदाधिकारियों का और 11 बैंच कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए बनाया गया था। इसमें भूमि और राजस्व, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा एवं इससे संबंधित अन्य मामलों के विवरण के लिए प्राप्त कराये गये। विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्री-लोक अदालत की बैठक 24 से 28 जून तक चली थी। 25 जून को जिले के सभी अंचल कार्यालय एवं सीसीएल में कैप लगाया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डाला) सचिव कमलशे बेरार ने बताया कि लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित 53 मामलों में संपूर्णता की राशि 8,19,82,302 रुपए लाभों के बीच 2,55,95,680 रुपए का बेक का वितरण भी किया गया। सीआरपीसी की धीरा 107, 144, 145, 147 से संबंधित 1032 वार्द, साथ ही एसएआर एवं परमिशन के 515 वार्दों एवं सर्टिफिकेट के 14 वार्दों का निष्पादन किया गया।

प्रत्यूष नवबिहार संगदादाता

रांची : राज्य में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन तथा इससे जुड़े अपेक्षित उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जाने वाली शिक्षण क्रियाकलाप तथा इसके संबंधित 15 वार्दों के कारीब 90 लाभों के बीच 2,55,95,680 रुपए का बेक का वितरण भी किया गया। सीआरपीसी की धीरा 107, 144, 145, 147 से संबंधित 1032 वार्द, साथ ही एसएआर एवं परमिशन के 515 वार्दों एवं सर्टिफिकेट के 14 वार्दों का निष्पादन किया गया।

## अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्डवाई करने का डीसी ने दिया निर्देश

प्रत्यूष नवबिहार संगदादाता

रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिंहा की अध्यक्षता में शनिवार को अवैध खनन के रोकथाम के लिए जिलास्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं खिलाफ शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। सरयु राय ने कहा कि उनको आदेश के अलाक में घोटालाबाजों के खिलाफ शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज करायेंगे।



विशेष अभियान के तहत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विकल्प दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी के लिए बात उन्हें बुराही दी गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन,

भण्डारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें। जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों से अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन क

# नीट पेपर से लेकर छतों तक लीक ही लीक...



साकेश अचल

देश की संसद हो या सरकार ,पुल हो या हवाई अड्डा, परीक्षा हो या धुनाव सबके सब लीक पूफ होना चाहिए। लीकेज को राष्ट्रीय उद्योग न बनाकर राष्ट्रीय अपाराध बनाया जाना चाहिए। वैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसे कानून एहतियात के तौर पर बनाये हैं, सरकार चाहे तो इन लीकबाजों के खिलाफ भारतीय न्याय सहिता, भारतीय साध्य सहिता में भी तरमीम कर सकती है और इसके आरोपियों के खिलाफ बुलडोजरों का इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करने के लिए घार सौ पार वाली सरकार चाहिए।

संपादकीय

## राष्ट्रपति के अभिभाषण का सार

भारत के संसदीय लाकृत्र में राष्ट्रपति के अधिभाषण का परपरा वासा पुरानी है। संवैधानिक प्राविधानों के मुताबिक, लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, फहले सत्र में सदस्यों के शपथ ग्रहण करने और सदन का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह अधिभाषण सरकार का नीति वक्तव्य होता है। इसमें सरकार की नीतियों और कामकाज का उल्लेख रहता है, इसलिए सरकार के द्वारा ही इसके मसाईदे को तैयार किया जाता है। परंपरा तो यह रही है कि इस सबसे गरिमापूर्ण औपचारिक कार्यवाही के दौरान विषय शांतिपूर्ण ढंग से इसे सुनता है। अधिभाषण के बाद जब सदन में घन्वन्द द्रस्तव्य वर्पण करते हैं तो विषयकी सांसदों को अपनी आपत्तियों और असहमतियों को दर्ज कराने का अवसर मिलता है लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के अधिभाषण के दौरान विषयकी दलों के सांसद सदन में शोरगुल करते हैं और हंगामा बरपाते हैं। अठारहवीं लोक सभा में जब राष्ट्रपति मुमूँ ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों का जिक्र किया तो विषयकी दलों के सांसदों ने सदन में शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति को निवेदन करना पड़ा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से उनके अधिभाषण को सुनें। राष्ट्रपति मुमूँ ने इस समय के सबसे ज्वलतं राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में ऐपर लीक की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐपर लीक की घटनाओं को बहुत मंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए कड़े उपाय कर रही है। जाहिर है कि ऐपर लीक का मामला सीधे-सीधे देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

चिंतन-मनन

## शांति इंसान के अंदर है

पानी में मिला हुआ नमक दिखाई नहीं देता। इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया। हालांकि आँख से नहीं देख सकते, पर जब्बान से उसे चखते हैं। मनुष्य के साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। हम शांति को आँखों से नहीं देख सकते, परंतु हृदय से उसका अनुभव कर सकते हैं। वह शांक्ति भी सब जगह है—थल में भी है, आकाश, वायु, जल और पेड़ों में भी है और उसी के होने की वजह से आप भी जीवित हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपकी जन्मपुंडली में लिखा हुआ है, इसकी वजह से आप जीवित हैं, परंतु नहीं।

कौन कब जाएगा, यह किसी को नहीं मालूम। कब क्या होगा, यह किसी को नहीं मालूम। पर लोग अपने जीवन के अंदर इसी चीज का विश्वास करके चलते हैं कि उनको मालूम है कि कल क्या होगा। आप जीते कहां हैं? आज में। कल तो आप जी नहीं सकते। अगर कल आएंगा भी तो उसको आज का रूप लेना पड़ेगा। तो आप जीते कहां हैं? आज में और आपकी आशाएं कहां हैं? कल में। आप चिंता किसकी करते हैं? कल की। और कल कभी आएंगा नहीं। सारी जिंदगी आज में आपके कीना है। संस्कार यह डालने चाहिए कि आपके अंदर शांति है, उसे खोजो, उसको महसूस करो। अगर शांति-शांति कहने से ही शांति हो जाती तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी। अब तक नहीं हुई है, तो कम से कम कुछ तो बदलिए। क्या बदलिए? मुँह को बंद कीजिए और अंतर्मुखी होकर हृदय को खोलिए। क्योंकि शांति को पैदा करने की जरूरत नहीं है। शांति तो स्वयं आपके अंदर है, जैसे वह नमक जो पानी में मिला हुआ है, वैसे ही शांति भी आपके अंदर है।

हार्दिक सनातन के साथ भी जीन लाला, जीन और बन या कूक रहे हैं। परंतु वह आपके हृदय के अंदर ही स्थित है। उसके अनुभव के लिए आपको इसे अपनाना पड़ेगा। इसे महसूस करने के लिए आप में इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में वह शांति चाहते हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक सारी बातें अधूरी हैं। जिस शांति की आपको तलाश है, वह शांति आपके अंदर है। कब तक रहेगी? जब तक आप जीवित हैं, तब तक रहेगी। आपकी सुंदरता कब बढ़ेगी? इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, जिसे पहनकर आप दरअसल अच्छे लगेंगे? वह है शांति।

आप शांति रूपी चादर ओढ़ेगी तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। वह मुस्कान सबसे सुंदर दिखाई देगी, तब आप असल में चमकेंगे। हृदय के दर्पण में आप अपनी परश्चाई देखेंगे, तो आप भी ऐसे आनंद से भर जाएंगे और कहेंगे-हे बनाने वाले, तुमने कितनी सुंदर चीज बनाई है जिसे हम बाहर ढंड रहे हैं।

एटी राष्ट्रीय सांख्यिकी का दिवस सालाना 29 जून का सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखकर उनके सम्मान में मनाया जाता है। ये विषय राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों में आमजनों द्वारा विश्वास करने, सरकार व निजी क्षेत्र का आधिकारिक डेटा को सुरक्षित करने, नवाचार और सार्वजनिक डेटाबेस प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है। प्रो. महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना गया है। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सन् 2007 को मनाया गया था। पिछले वर्ष-2023 की थीम थी ह्यास्तत विकास लक्ष्यों की निरानी के लिए राज्य संकेतक ढाँचे को राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे के साथ संरचित करनाहा। सरकारी स्तर पर सांख्यिकी दिवस समसामयिक राष्ट्रीय महत्व के विषय वस्तु पर मनाया जाता है।

राष्ट्रीय विकास में आधिकारिक सांख्यिकी के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज कई जगहों पर सेमिनार, चर्चाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी, जहां लोगों को सांख्यिकी के संबंध में जागरूक किया जाएगा। किसी भी प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधियों की पारदर्शी कार्यशैली की नींव उसके सांख्यिकी या डाटा से पहचानी जाती है। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परोपकारी निकायों, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों, भू-स्थानिक समुदाय, मीडिया जैसे तमाम पेशेवर निकायों की विश्वसनीयता उनकी सांख्यिकीय पर निर्भर करती है। डिजिटल डेटा और प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में खुपलेबाजी आधुनिक समय की बड़ी समस्याओं में गिनी जाने लगी है।



प्रश्नां उत्तरादी

**तै** शिवक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवतः जान बूझकर गलत दराया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अखिका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए हाल में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति दोस्तिग्रहीय।

जारी किया गया तो यूपकानना का विषय बदल दिया गया है। इस सुबंध से पहले उद्दर (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है। जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रास्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है। जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है अर्थात् इस सबों के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थित इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार करके परे विवर को

डेटा-संचालित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की चुनौती



इस दिवस के महत्व की जहां तक बात है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में साँख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और देशवासियों को इस बाबत जागरूक करना की साँख्यिकी नीतियों को आकार देने और तैयार करने में कैसे मदद करती है। 29 जून को प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती भी होती है जिनका साँख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में योगदान अमूल्य रहा है। महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में एक धनी और शैक्षणिक रूप से उत्तमुच्च बगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए थे। उन्होंने भौतिकी में अपना ट्रिपोस पूर्ण किया और मानव विज्ञान और मौसम विज्ञान में समस्याओं को हल करने में साँख्यिकी का प्रभावकारिता की खोज की थी। उनका निधन 28 जून 1972 को कलकत्ता में 78 वर्ष की आयु में हुआ था। साँख्यिकी दिवस पर सामाजिक-आर्थिक नियोजन में साँख्यिकी की भूमिका के बारे में जन जागरूकत बढ़ाना, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच रिपोर्ट कार्यक्रम, कार्यान्वयन, निगरानी आदि सभी का प्रबंधन साँख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रस्तुति देने भी होता है।

मुद्दा : संसद में बेमतलब के नारे



भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, भीषण गर्भों के भौमसम में चुनाव क्यों कराए गए, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए धरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराकी तो नहीं है आदि, परंतु भारतीय मतदाताओं ने चुनाव में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यतः शांति के साथ संपन्न हो गए। इस सबके बावजूद, पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सचकांक में 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिरकर

पाकिस्तान का 99वाँ, एथीयोपिया का 104वाँ एवं  
भारत का 107वाँ स्थान बताया गया था जबकि पूरा  
विश्व जानता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यामार  
जैसे देशों में खाड़ी पदार्थों की भारी कमी है। फिर किस प्रकार ऐसे सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। आधास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तत्त्वजीको विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में ऐसे सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर

विश्वास करगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पूल बनाते समय भारत जैसे विश्वालंदेश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था 'स्टैंडर्ड एंड पूअर' ने हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करते हुए भारत के संबंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करते हुए कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास संबंधी विभिन्न पैमानों आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं राजकोषीय धाटे को कम करने से संबंधित आंकड़ों एवं प्रयासों का गंभीरता से लगातार अच्छयन एवं विश्वेषण कर रही है। वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों की विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तब करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जिनते भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं, उनमें भारत के संदर्भ में व्यापकीयता का महीन वर्णन नहीं किया जा रहा है।








# राजकुमारी

## और चांद

### रिवालीना



**U**क राजा था उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। क्योंकि उसकी बीमारी का पाता नहीं चल पाया था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तुम्हरे इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।

यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली फिर मेरे लिए चांद मांगवा दिजी। मैं उससे खेलूँगी तो मेरी तबियत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर

कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए चांद मांगवाने का प्रबंध करता हूँ।

राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सभसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उससे धीरे से कहा गयी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए।

चांद

प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा।

उसके माथे पर पसीना आ

गया। थोड़ी देर बाद वह बोला

महाराज मैं दुनिया के किसी

भी कोने से कोई भी चीज़

मांगवा सकता हूँ लेकिन

चांद लाना मुश्किल है।

राजा ने प्रधानमंत्री को

तुन्त दरबार से बाहर जाने

का आदेश दे दिया। और

प्रधान सेनापति को बुलाया।

प्रधान सेनापति के आने

पर राजा ने उससे भी चांद लाने

की बात

कही।

सेनापति ने भी

चांद लाने में

अपनी असमर्थता व्यक्त की और तर्क दिया कि चांद को

कोई भी नहीं ला सकता। वह यहां से डेढ़ लाख मील दूर है।

राजा ने उसे भी चले जाने को कहा और अपने खाजांची को बुलाया उसने भी राजकुमारी के लिए चांद लाने में असमर्थता जताई। जाओ यहां से जाओं राजा चीखा और बोलने दरबारी जोकर को बुलाओ। जोकर ने आते ही छुक्कर सलाम किया और पूछा सरकार आपने मुझे बुलाया? हां राजा रो पड़ा जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उनकी तबियत ठीक नहीं होगी क्या तुम चांद ला सकते हो?

हां बोया नहीं पर राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहता है कोई बात नहीं मैं खुद उससे जा कर पूछ लेता हूँ। जोकर बोला और सीधे राजकुमारी में कमरे में चला गया।

राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा कि चांद लाए। जोकर ने कहा अभी नहीं लेकिन जल्द ला दूँगा। पहले ये बताओं कितना बड़ा

चांद चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि मेरे अंगूठे के नाखून बराबर क्योंकि जब भी आंखों के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता।

अच्छा यह और बता दो कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊँचाई पर है? चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊँचाई पर है राजकुमारी ने बोला।

ठीक है आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उत्तर लाऊँगा। जोकर ने कहा और राजा को पास चला गया और उसने राजा को बोला कि मैं कल

राजकुमारी के लिए चांद का खिलौना ले आऊँगा। और उसने अपनी

योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक साने का

चांद बनाया कर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया राजकुमारी बहुत खुश हुआ। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबियत ठीक हो गई। लेकिन राजा को चिन्ता खाया जा रही थी कि जब राजकुमारी जब खिड़की में से चांद को देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी कि पिताजी ने उससे जूता बाद किया था। यह को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा कि अच्छा राजकुमारी ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो आसमान में कैसे निकल आया?

राजकुमारी हंस कर बोली तुम मर्ख हो जैसे मेरा जब टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है वैसे ही चांद भी दूसरा निकल आया है। यह सुनकर राजा ने रात की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के साथ खिलौने से खेलने लगा।

## कैसे बनी आइसक्रीम

**बच्चों** हम सब आइसक्रीम तो खाते हैं पर कभी ये जानने की कोशिश पहले कैसे बनाया जाता था? भारत में मुगल शासनकाल के दौरान आइसक्रीम जाता है कि अरब जगत के लोगों ने सबसे पहले आइसक्रीम के उत्पादन में शुरू किया। वे फलों की बजाय चीनी मिलाकर इस्को मीठा करते थे। फलों और अफगानिस्तान से मानी जाती है। करीब 200 ईस्वी पूर्व के आस-पार मिश्रण को जमाकर खाने की परंपरा मिलती है। रोम का शासक नीरो (37-0) को मांगता था और उनमें फलों के ऊपर दिखाए गए फलों को ऊपर दिखाए गए।

18वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका की रेसेपी में आइसक्रीम बनाने की आधुनिकीय इन्डिश डिवर्नरी के अनुसार 1744 में पहली बार आइसक्रीम शब्द का उल्लेख मिलता है। दुनिया के पहले आइसक्रीम पालर की शुरुआत 1776 में अमेरिका में हुई थी। 20वीं सदी में ब्रिटेन में आइसक्रीम पालर बनाने के आसान तरीके विकसित होने से, बढ़ोत्तरी हुई। उसी दौर में रेफ्रिजरेटर के अस्तित्व में आने के बाद इसको घरों में संरक्षित रखा जाना शुरू हुआ। साइकिल में लेकर इसे बेचने की शुरुआत लंदन में 1923 में हुई थी। जिसमें बेचने वाले डिल्यू तोता था- स्टॉप मी ऐंड बाई वन। अमेरिका आइसक्रीम की दुनिया में सबसे बड़ा उभयोका है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है।



**E**क डाकू गुरु नानकदेवजी के पास आया और उसमें मैं माथा टेकते हुए बोला- मैं डाकू हूँ। अपने जीवन से तंग हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए। नानकदेवजी ने कहा- तूम आज से चोरी करना और झूठ बोलने छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। डाकू प्रणाम करके चल गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और कहने लगा- मैं झूठ बोलने और चोरी करने से मुक्त होने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु मुझसे ऐसा न हो सका। मैं चाहकर बदल नहीं सका। आप मुझे उपाय अवश्य बताइए।

गुरु नानक सोचने लगे कि इस डाकू को सुधरने का क्या उपाय बताया जाए। उन्होंने अंत में कहा- जो तुम्हारे मन में जो आए करो, लेकिन दिन भर झूठ बोलने, चोरी करने और डाका डालने के बाद शाम को लोगों के सामने किए हुए कामों का बद्धान कर दो। डाकू को यह उपाय सरल जान पड़ा।

इस बार डाकू पलकर नानकदेवजी के पास नहीं आया था। जब तराता और शाम को जिसके घर से चोरी की है उसकी चौखट पर यह सोचकर पहुँचता कि नानकदेवजी ने जो कहा था कि तुम अपने दिन भर के कर्म का बद्धान करके आना लोकिन वह अपने बुरे कामों के बारे में बताते हैं मैं बहुत संकोच करता और आमतलानि से पानी-पानी हो जाता। वह बहुत हिम्मत करता कि मैं सारे काम बता दूँ लेकिन वह नहीं बता पाता।

## गुरु नानकदेव की सीख



हताश-निराश मुँह लटकाए वह डाकू एक दिन अचानक नानकदेवजी के सामने आया। अब तक न आने का बारण बताते हुए उसने कहा- मैंने तो उस उपाय के बहुत सरल समझा था, लेकिन वह तो बहुत कठिन निकला। लोगों के सामने अपनी बुराइयाँ कहने में लजा आती है, अतः मैंने बुरे काम करना ही छोड़ दिया। इस तरह नानकदेव जी ने उसे अपाधी से अच्छा इंसान बना दिया।

बच्चों, तुमने मियाँ शेख चिल्ली का नाम सुना होगा। वही शेख चिल्ली जो अकल के पीछे लाटी जाती है लिए घूमते थे। उन्हीं का एक और कासामा तुम्हें सुनाएँ।

मियाँ शेख चिल्ली के भाई दूर किसी शहर में बसते थे। किसी ने शेख चिल्ली को बीमार होने की खबर भी तो उनकी खैरियत जानने के लिए शेख चिल्ली ने उन्हें खत लिया। उस जानने में डाकघर तो थे नहीं, लोग चिल्ली गांव के नाई के जरिये भिजवाया करते थे या कोई और नौकर चिल्ली लेकर जाता था।

लेकिन उन दिनों नाई उन्हें बीमार मिला।

फसल कटाइ का भौमसम हो



दिल्ली में बारिश ने बरणाया कहर अब अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया थे अलर्ट

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में हीतों दो दिनों से मेघ बरस रहे हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन इसने जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बढ़ा कर दी है। शहर में 88 वर्षीय की रिकॉर्ड तूड़ बारिश के साथ मानसून ने दरसक दी है। वहीं, यहाँ अगले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विभाग अगले चार दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान यकृत करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 'मौसम विभाग ने कहा दिल्ली में पूरे मानसून में अगले साल दिन गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। आइ-एमी के अनुसार, एक दिन में 3.5 मिलीमीटर के बीच वर्षा में वर्षा की ओर बारिश होने का अनुमान है।' 'दिल्ली के रिहिंगी और दुर्वासा सहित कई इलाकों में सुख के समय बारिश हुई।' दोपहर बाद भी शहर में कई जगह बारिश हुई। 'मौसम विभाग ने अगले साल दिन गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। आइ-एमी के अनुसार, एक दिन में 6.45 से 124.4 मिमी के बीच वर्षा में वर्षा की ओर बारिश होनी आती है। एक दिन में 28 डिमी रेनी रेलवे सर्वर के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई सुखन नी बजे तक 108 के साथ मध्यम श्रेणी में बद्दी की गई।

## कोर्ट का आदेश, 6 जुलाई को हाजिर हो... राहुल गांधी

राधी | मोदी सरनेम को लेकर कथित तीर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानवानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोकी के एम्पी-एमएल एसेशन कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने केस में चार्ज फ्रैम करने पर पर बहस के लिए 6 जुलाई की तरीख तय की है। कानूनी पारायानों के अनुसार, इस दौरान बाबन दर्ज करने के लिए कोर्ट में राहुल गांधी की निर्दिश पर उपरित्थित जरूरी होती है। यह केस राही के लालूरुप निवासी एवं कोर्ट में प्रतीक प्रतीयों मोदी ने 23 अप्रैल 2021 को दर्ज कराया था। सिविल कोर्ट में दर्ज शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने राही में चुनावी सभा में कहा था कि मोदी रासनेम वाले राही लाग वो होते हैं। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहट डूळा है। इसका कानून निवासी को निर्वाचित करने के लिए एम्पी-एमएल एसेशन को स्थानान्तरित किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ एक अद्यता दर्ज कर उपरित्थित से छूट मारी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया है।

## तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट... 4 की मौत

चंद्रें | तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट के बाद 4 एम्पिकों की मौत हुई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कोर्ट की मौके पर वर्तमान जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि विस्फोट और अगले लगन का पटाखा बनाने में रासानांतरिक पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल होना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इकाई के नजदीक मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पटाखा निर्माण इकाई की इमारत को भी इस घटना में नुकसान पहुंचा है।

## प्रज्ञल रेवता को नहीं मिल रही राहत, 8 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली | अतिरिक्त मुख्य मंत्रीपौलिटिन अजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की एक अदालत ने आज (29 जून) को संवेदी विडियो कांड के मुख्य आरोपी पूर्व जद (एस) सासद प्रज्ञल रेवता को 8 जुलाई (सोमवार) तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रज्ञल को विशेष जांच दल (एसएआई) ने अदालत में पैसा किया वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई थी। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके निकट खिलाफ दर्ज विधी योनी मामले के सिलसिले में आपनी हिरासत में लिया था। प्रज्ञल के भाई जद (एस) एमएलसी सुरज रेवता को भी जद (एस) पूरुष कानूनी अधिकारी ने एक जिम्मे दिया है। एक जिम्मे दिया है। उन्होंने बताया कि वर्षों की प्रश्नावाही पर हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई है। प्रज्ञल के दफ़ीने की विवाही की अप्रूपता एवं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल अधिकारियों को इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल अधिकारी की अनुमति दी जाए तो मामले की सुनवाई सोमवार की जायेगी। प्रज्ञल को बैंगनुरुप के बाहर इलाके के बाहरी कार्रागार में स्थानान्तरित करने के लिए जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने प्रज्ञल को उसके न